विचार बिन्दु

कदम पीछे ना हटाने वाला ही ऐश्वर्य को जीतता है। –ऋग्वेद

तारीख पर तारीख: न्याय नहीं, पेंशनरों के साथ निर्मम प्रतीक्षा

राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनरों की पीड़ा अब केवल एक प्रशासनिक या वित्तीय समस्या नहीं रह गई है; यह शासन की संवेदनहीनता, न्यायिक विलंब और नीतिगत असफलताओं का ऐसा ज्वलंत उदाहरण बन चुकी है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। जिन लोगों ने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विकास को समर्पित कर दिए, आज वही अपने अधिकार-पेंशन-के लिए दर-दर भटकने को विवश हैं। यह स्थिति न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 08 फरवरी 2010 को प्रकाशित एक समाचार से हुई, जिसने इस अन्याय को सार्वजनिक मंच पर उजागर किया। मामला इतना गंभीर था कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को स्वत: संज्ञान लेना पड़ा। 24 सितंबर 2010 को न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए तथा पेंशनरों को विलंब अवधि के ब्याज सहित समस्त देय भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उस समय सरकार ने आदेश की पालना की और अनुदान एवं ऋण के माध्यम से विश्वविद्यालयों को राहत दी गई, जिससे पेंशनरों को बकाया राशि, छठे वेतनमान का एरियर तथा ग्रेच्युटी का भुगतान हो सका।

परंतु यह समाधान स्थायी नहीं था-यह केवल एक अस्थायी राहत थी। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने अचानक पेंशन के लिए अनुदान और ऋण देना बंद कर दिया। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि हजारों बुजुर्ग पेंशनरों के जीवन पर सीधा आघात था। आर्थिक असुरक्षा, मानसिक तनाव और सामाजिक असम्मान की त्रासदी ने पेंशनरों को फिर से न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया।

स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 3 मई 2016 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एक बार फिर राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह विश्वविद्यालय को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि नियमित पेंशन के साथ 11 माह की बकाया पेंशन का भुगतान किया जा सके। न्यायालय ने इस दौरान यह भी उल्लेख किया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 25 पेंशनरों का निधन हो जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह टिप्पणी केवल संवेदना नहीं थी, बल्कि व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी थी।

लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह और भी चिंताजनक है। राज्य सरकार ने इस आदेश का पालन करने के बजाय डबल बेंच में अपील दायर कर दी। तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है और पेंशन का दायित्व उसी का है। यह तर्क न केवल तकनीकी रूप से कमजोर है, बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य है। विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति स्वयं इस दावे का खंडन करती है-जहाँ सीमित छात्र संख्या, नगण्य फीस आय और कृषि अनुसंधान केंद्रों से कोई ठोस आय नहीं है, वहाँ पेंशन जैसे दीर्घकालिक दायित्वों का निर्वहन कैसे संभव है?

मई 2017 में डबल बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए तीन माह की पेंशन के भुगतान का आदेश दिया। इसके बाद यह व्यवस्था बनी कि जब तक अपील लंबित है, राज्य सरकार पेंशन के लिए राशि देती रहेगी। लेकिन यह व्यवस्था भी आधी-अधूरी रही। पेंशनरों को आज भी महंगाई भत्ता वास्तविक दर के मुकाबले बहुत कम मिल रहा है-जहाँ दर लगभग 58 प्रतिशत होनी चाहिए, वहाँ उन्हें मात्र 12 प्रतिशत मिल रहा है। 22 माह की पेंशन आज भी बकाया है और सातवें वेतनमान का एरियर भी अब तक अटका हुआ है।

यह केवल पेंशनरों की लड़ाई नहीं है, यह न्याय, संवेदनशीलता और शासन की जवाबदेही की लड़ाई है। अब और विलंब न केवल अन्याय होगा, बल्कि इतिहास में एक कलंक के रूप में दर्ज होगा। और भी चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण ने समाज में एक खतरनाक संदेश प्रसारित किया है-कि यदि आप जीवन भर ईमानदारी से सेवा भी करें, तो भी बुढ़ापे में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

जुलाई 2019 में न्यायालय ने 22 माह की बकाया पेंशन के भुगतान का स्पष्ट आदेश दिया, लेकिन यह आदेश भी कागजों तक सीमित रह गया। अंतत: पेंशनरों को मई 2024 में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। परंतु वहाँ भी उन्हें न्याय नहीं, केवल तारीख पर तारीख ही मिली। यह स्थिति न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न उठाती है।

इसी बीच, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पेंशनर वेलफेयर सोसायटी ने 2021 में एक नई याचिका दायर की, जिसमें यह मांग की गई कि पेंशन की जिम्मेदारी पूर्णत: राज्य सरकार उठाए और पेंशनरों को राज्य कर्मचारियों के समान लाभ मिले। यह मांग न केवल न्यायोचित है, बल्कि व्यावहारिक भी है। परंतु पाँच वर्षों में इस याचिका की प्रगति भी अत्यंत निराशाजनक रही है-सरकार ने नोटिस का जवाब देना तक आवश्यक नहीं समझा।

आज स्थिति यह है कि लगभग 3000 पेंशनर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के शिकार हैं। इनमें से लगभग 300 पेंशनर अपने अधिकार की प्रतीक्षा करते-करते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। यह केवल आँकड़े नहीं हैं, बल्कि एक असंवेदनशील व्यवस्था का मौन अभियोग हैं।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या एक कल्याणकारी राज्य में बुजुर्ग नागरिकों को अपने जीवन के अंतिम चरण में इस प्रकार अपमान और असुरक्षा का सामना करना चाहिए? क्या न्याय केवल आदेशों तक सीमित रह जाएगा, या उसका वास्तविक क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा? क्या तारीख पर तारीख की यह परंपरा कभी समाप्त होगी?

राज्य सरकार अक्सर वित्तीय संकट का तर्क प्रस्तुत करती है, परंतु यह तर्क वास्तविकता के धरातल पर टिकता नहीं है। राज्य का वार्षिक बजट लाखों करोड़ का है, जिसमें से कुछ सौ करोड़ रुपये पेंशनरों के लिए आवंटित करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह मुद्दा संसाधनों का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं का है। जब सरकार बड़े-बड़े विकास कार्यों और योजनाओं पर खर्च कर सकती है, तो अपने ही कर्मचारियों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक राशि क्यों नहीं दे सकती?

अब समय आ गया है कि इस विषय पर अंतिम और ठोस निर्णय लिया जाए। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उन वर्षों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है, जो इन पेंशनरों ने राज्य के विकास के लिए दिए हैं। यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो यह तारीख पर तारीख की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कड़वा उदाहरण बन जाएगी-एक ऐसा उदाहरण, जहाँ एक राज्य अपने ही कर्मियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा।

यह केवल पेंशनरों की लड़ाई नहीं है, यह न्याय, संवेदनशीलता और शासन की जवाबदेही की लड़ाई है। अब और विलंब न केवल अन्याय होगा, बल्कि इतिहास में एक कलंक के रूप में दर्ज होगा। और भी चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण ने समाज में एक खतरनाक संदेश प्रसारित किया है-कि यदि आप जीवन भर ईमानदारी से सेवा भी करें, तो भी बुढ़ापे में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इससे युवा पीढ़ी के मन में सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास कमजोर होता है। एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अपने कर्मियों को सुरक्षा और सम्मान देना भी है। यदि आज पेंशनरों के साथ यह अन्याय जारी रहा, तो कल यह व्यवस्था की विश्वसनीयता को ही खोखला कर देगा। इसलिए अब निर्णय का समय है-और वह भी तुरंत, स्पष्ट और न्यायपूर्ण।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी, उदयपुर

राशिफल गुरुवार 16 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन 1:59 तक, ऐन्द्रयन योग दिन 10:57 तक, विष्टि करण प्रात: 9:22 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 1:59 से आरम्भ होग। भद्रा प्रात: 9:22 तक है। आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:41 तक, चर 10:52 से 12:27 तक, लाभ-अमृत 12:27 से 3:37 तक, शुभ 5:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:06, सूर्यास्त 6:47

मेष
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। घर-गृहस्थी के कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

कन्या
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

बेखौफ गुंडागर्दी, खामोश कानून: जयपुर किसके भरोसे?

मणिमाला शर्मा

सरेआम छेड़छाड़, पर्यटकों के साथ अभद्रता और वायरल होते वीडियो, क्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक बन चुकी है?

जयपुर की सड़कों पर इन दिनों जो हो रहा है, उसे सामान्य छेड़छाड़ कहकर हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसे देखा जाए तो यह सीधे-सीधे महिलाओं की गरिमा पर हमला है और उससे भी ज्यादा, कानून की साख पर। राह चलती लड़कियों का पीछा करना, रास्ते में बाइक सवारों की फब्तियां, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करना आदि ये अब इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं रहीं हैं। अब यह एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है और सबसे डरावनी बात यह है कि इसे करने वालों के चेहरे पर कतई डर नहीं दिखता है, बल्कि एक अजीब-सा आत्मविश्वास दिखता है। जो कि सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। इन सब घटनाओं के मद्देनज़र क्या अब यह मान लिया जाए कि सड़कों पर महिला होना अब असुरक्षा को स्वीकार करना है?

9 अप्रैल 2026 को न्यू सांगानेर रोड (इस्कॉन रोड) पर जो हुआ, उसने इस सच्चाई को नंगा कर दिया। बाइक टैक्सी पर बैठी एक युवती के साथ दो मनचले युवकों ने छेड़छाड़ की और फिर उसी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखा जाए तो उन दोनों ने केवल अपराध ही नहीं किया बल्कि कानून को खुली चुनौती दी है। मनराज और सुदामा मीणा नाम के ये दोनों आरोपी क्या यह नहीं जानते थे कि वे अपराध कर रहे हैं? या उन्हें पूरा भरोसा था कि यह सब करने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? जब अपराधी अपने ग़लत कृत्यों को छिपाने के बजाय उसे 'रील' बनाकर दिखाने लगें, तो यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं बचा है।

यह घटना अकेली नहीं हैं। मार्च में चारदीवारी क्षेत्र में एक जर्मन महिला पर्यटक को हिंदी सिखाने के बहाने अश्लील गालियां रटवाई जाती हैं और उसका मजाक उड़ाया जाता है। 5 अप्रैल को जयगढ किले के पास सुबह की सैर पर निकली एक जापानी महिला पर्यटक को पांच युवक घेर लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं । यह यह केवल सामान्य बदतमीजी नहीं, बल्कि उस शहर की पहचान पर चोट है, जो खुद को मेहमाननवाजी की मिसाल बताता है। अगर 'अतिथि' ही असुरक्षित है, तो हमारी संस्कृति का दावा किस काम का?

अब सीधा सवाल यह है कि जब कानून मौजूद हैं, तो उनका असर क्यों नहीं दिखता? भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354, 354 और 509 स्पष्ट रूप से ऐसे अपराधों को परिभाषित करती हैं और सजा का प्रावधान तय करती हैं। नए आपराधिक कानूनों में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई गई है। फिर भी अगर अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और उसे रिकॉर्ड कर प्रसारित भी कर रहे हैं, तो यह कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके लागू होने की विफलता है। अब देखने वाली और पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या इन मामलों में तुरंत दर्ज हुई है ? क्या आरोपियों को उसी तेजी से गिरफ्तार किया गया, जिस तेजी से वीडियो वायरल हुआ? और सबसे अहम सवाल कि क्या इन मामलों में आरोपियों को सजा होगी, और वह भी समयबद्ध? या फिर हर बार की तरह यह मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडा पड़ जाएगा? अगर सजा का डर नहीं है, तो कानून केवल किताबों में जिंदा रहता है, सड़कों पर नहीं।

पुलिस पर भी सवाल उठना लाज़मी है। हर बार वही कहानी और घटना दोहराई जाती है, पहले वीडियो वायरल होता है, फिर कार्रवाई शुरू होती है। तो क्या पुलिस अब सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव पर काम करेगी? सवाल यह उठता है कि 'प्रिवेंटिव पुलिसिंग' यानी अपराध होने से पहले उसे रोकने की जिम्मेदारी क्या अब सिस्टम से गायब हो चुकी है? पुलिस की शहर के संवेदनशील इलाकों, सुनसान सड़कों और पर्यटन स्थलों पर नियमित गश्त क्यों नहीं दिखती है ? सादी वर्दी में पुलिसकर्मी क्यों नहीं नजर आते? पर्यटन स्थलों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की जाती है? इन सब मामलों में सरकार से भी जवाब मांगा जाना चाहिए। 'स्मार्ट सिटी' के नाम पर कैमरों और कंट्रोल रूम की लंबी-चौड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। लेकिन क्या ये कैमरे केवल फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए हैं, या फिर कभी इन्हें अपराध रोकने के लिए भी यूज किया जाएगा? बाइक-टैक्सी और कैब सेवाओं का वेरिफिकेशन कहां है? रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम क्यों नहीं लागू है? पर्यटन स्थलों की सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट आखिरी बार कब हुआ था? यह कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सरकार और पुलिस प्रशासन को देने ही होंगे और ऐसी कड़ी कानून व्यवस्था लागू करनी होगी ताकि आगे से कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले सौ बार सोचे।

यहाँ समाज भी कम दोषी नहीं है।क्या वह इस पूरी कहानी में निर्दोष है? बिल्कुल नहीं। इस्कॉन रोड की घटना हो या अन्य मामले हर जगह लोग मौजूद थे, मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। लेकिन किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। यह 'डिजिटल तमाशबीन' बन जाने की प्रवृत्ति अपराधियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। जब विरोध नहीं होगा, तो अपराधी क्यों रुकेगा? अब वक्त आ गया है कि बातें नहीं, कार्रवाई दिखे। हर ऐसे मामले में तुरंत दर्ज हो, आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हो, और फास्ट-ट्रैक अदालत में समयबद्ध सजा सुनिश्चित हो। सडकों पर पुलिस की मौजूदगी दिखनी चाहिए ताकि कानून का डर फिर से जिंदा हो। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जवाबदेही दोनों को मजबूत करना होगा।

जयपुर की पहचान उसके किलों और महलों से नहीं, उसकी सड़कों की सुरक्षा से तय होगी। अगर यहां महिलाएं और मेहमान सुरक्षित नहीं हैं, तो 'गुलाबी नगरी' का तमगा सिर्फ दिखावा बन कर रह जाएगा।आखिरी सवाल सरकार, सिस्टम और समाज तीनों से है कि कानून है, घटनाएं सामने हैं, सबूत कैमरों में कैद हैं, सोशल मीडिया में वीडियोज हैं फिर भी अपराधियों को डर क्यों नहीं है?

अगर कानून सडकों पर दिखाई नहीं देता, तो अपराधियों को यह यकीन होने लगता है कि वह है ही नहीं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि डर खत्म होते ही कानून केवल किताबों में रह जाता है और सड़कों पर जंगलराज शुरू हो जाता है।

–मणिमाला शर्मा,
सीनियर जर्नलिस्ट

नदारद होते नीड़ और वीरान होते वन-उपवन

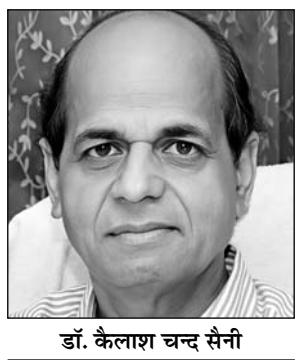

डॉ. कैलाश चन्द सैनी

जब चिड़ियाँ खामोश होती हैं, तो केवल पेड़ ही नहीं, हमारे बचपन की संवेदनाएँ भी सूख जाती हैं। कंक्रीट के इस दौर में परिंदों की चुप्पी एक बड़ी चेतावनी है। क्या हम मुट्ठी भर दाना और एक सकोरा पानी देकर अपनी इस खोती हुई विरासत को बचाने के लिए तैयार हैं? यह लेख उसी उजड़ती दुनिया की एक मर्मस्पर्शी पुकार है।

पक्षियों के बिना जीवन की सरसता वैसी ही है जैसे बिना आत्मा का शरीर निस्पंद, नीरस और रिक्त। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा संसार रचा था जहाँ प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सहज, आत्मीय और अटूट सेतु था। पेड़ केवल हरियाली नहीं थे, वे सैकड़ों परिन्दों के घर थे; और आँगन केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन की गूंज से भरा एक जीवंत संसार था। लेकिन आज, विकास की अंधी दौड़ में हमने उसी सेतु को निर्ममता से ध्वस्त कर दिया है। परिंदों का वह मधुर 'कलरव', जो कभी हमारे कानों में मिश्री घोलता था, अब शहरी कोलाहल और मशीनी शोर के नीचे दबकर कहीं खोता जा रहा है।

भोर की वह विलुप्त होती दस्तक

एक समय था जब हमारी सुबह किसी कृत्रिम अलार्म की कर्कश ध्वनि से नहीं, बल्कि घर-आँगन के पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। गौरैया घर की ऐसी सदस्य थी जो तस्वीरों के पीछे, रोशनदानों में, या दीवारों की छोटी-छोटी दरारों में बिना अनुमति लिए ही अपना घर बसा लेती थी। उसकी चंचलता घर के हर कोने में जीवन का स्पंदन भर देती थी।

परंतु आज के आधुनिक 'स्मार्ट होम्स' ने इन मासूम जीवों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। रोशनदानों की जगह एयर-कंडीशनर की डक्ट्स ने ले ली है, और खुली खिड़कियों की जगह काँच की बंद दीवारों ने। चुलबुली गौरैया अब वास्तविकता से अधिक स्मृतियों का हिस्सा बनती जा रही है। अल सुबह, जहाँ कभी पेड़ों की घनी छांव में उनका सामूहिक कलरव एक मधुर राग छेड़ता था, वहाँ अब एक अजीब-सी खामोशी पसरी रहती हैमानो प्रकृति स्वयं किसी खोई हुई धुन को तलाश रही हो।

दोपहर का सन्नाटा और लुप्त होते शिकारी

दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब वातावरण ठहर-सा जाता था, तब बिजली के तारों पर बैठा हरा पतरिंगा अपनी अद्भुत फुर्ती से सबका ध्यान आकर्षित करता था। हवा में उड़ते कीट को बिजली-सी गति से झपटकर पकड़ लेना, और फिर उसी तार पर बैठकर अपनी चोंच को तार से टकराते हुए उसे निगल जाना, यह दृश्य किसी कुशल योद्धा के सधे हुए अभ्यास जैसा प्रतीत होता था।

इसी तरह कलगीधारी हुदहुद भी कभी घरों के लॉन और क्यारियों की मुलायम मिट्टी में अपनी लंबी चोंच डालकर भोजन खोजा करता था। आज स्थिति यह है कि शहरों में लॉन सिकुड़ गए हैं, क्यारियाँ समाप्त हो गई हैं, और जहाँ कभी मिट्टी की सोंधी महक थी, वहाँ अब टाइल्स और कंक्रीट का साम्राज्य है। जब धरती ही सीमेंट की परतों के नीचे दम तोड़ रही हो, तो ये नन्हे जीव अपना भोजन कहाँ तलाशें? यह केवल उनके अस्तित्व का संकट नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय संतुलन के विघटन का संकेत है।

बदलती संवेदनाएं: सरोकारों से विमुख होता मनुष्य

समय के साथ केवल भौतिक परिवेश ही नहीं बदला, बल्कि मनुष्य की संवेदनाएँ भी क्षीण होती चली गईं। एक समय था जब हर घर की मुंडेर पर मिट्टी का एक सकोरा (परिंडा) पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए रखा जाता था। घर की महिलाएँ पहली रोटी या मुट्ठी भर दाना छत पर डालना अपना कर्तव्य और पुण्य समझती थीं। आज यह परंपरा विलुप्तप्राय है।

विडंबना यह है कि आधुनिकता के प्रतीक कई भव्य प्रतिष्ठान 'दाना-पानी' जैसे नाम तो धारण करते हैं, पर उनके आसपास किसी पक्षी के लिए पानी की एक बूंद तक उपलब्ध नहीं होती। हम अपने वंशजों के लिए बैंक बैलेंस और आलीशान मकान तो छोड़ जाना चाहते हैं, पर उन्हें एक जीवंत पर्यावरण देने के प्रति उदासीन हैं।

एक व्यक्तिगत संकल्प: सुकून की तलाश

इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच कुछ छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास अभी भी आशा की किरण जगाते हैं। मैं प्रतिदिन एक पार्क में जाता हूँ और वहाँ पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करता हूँ। जब कबूतर, तोते, फाख्ता और मैना समूह में आकर भोजन करते हैं और गिलहरियाँ भी उनमें शामिल होकर चंचलता बढ़ा देती हैं, तो वह दृश्य मन को एक अद्भुत शांति से भर देता है। यह केवल दाना

खिलाना नहीं है, यह उस 'ऋण' की आंशिक पूर्ति का प्रयास है, जो हम पर प्रकृति का है।

गोधूलि वेला: सरल सवालों के कठिन जवाब

सांझ ढलते ही जब आकाश सिंदूरी आभा से रंगीन होता है और पक्षियों के झुंड अपने बसेरों की ओर लौटते हैं, तब एक विहंगम दृश्य सामने आता है। लेकिन आज यह दृश्य भी प्रश्नों से घिर गया है। जब मैं सांझ की इस बेला में अपने पौत्र को छत पर ले जाता हूँ, तो वह उत्सुकता से उड़ते हुए पक्षियों को देखता है और मासूमियत से पूछ बैठता है ;दादा, ये कौन से पक्षी हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं?

उसके इन सरल सवालों का जवाब देने में आज हमें हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके बसेरे अब सुरक्षित नहीं हैं।

परिंदों की परवाज़ अब धीमी पड़ रही है। उनकी खामोशी में एक गहरी चेतावनी छिपी है। यदि हमने समय रहते इसे नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियाँ पक्षियों को केवल किताबों और चित्रों में ही देख पाएंगी।

संकट के बादल और हमारा सामूहिक धर्म

पक्षियों के संरक्षण के लिए कानून तो बने हैं, पर केवल कानून पर्याप्त नहीं इसके लिए करुणा, संवेदनशीलता और सामूहिक संकल्प आवश्यक है। आइए, हम सब मिलकर कुछ छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाएँ-

सकोरा अभियान: घर या कार्यालय की छत/बालकनी में पानी से भरा एक सकोरा अवश्य रखें।

अन्न का दान: प्रतिदिन कुछ दाने या रोटी के टुकड़े पक्षियों के लिए रखें। ध्यान रखें उन्हें डराकर उड़ाएँ नहीं।

आश्रय निर्माण: जहाँ संभव हो, छोटे घोंसले या 'बर्ड नेस्ट' लगाएँ, ताकि उन्हें सुरक्षित आश्रय मिल सके।

गर्मियों के इन कठिन दिनों में उन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हम अपने बच्चों के लिए जो धन-संपदा संजो रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि बाहर का आकाश सूना और आँगन मौन हो गया। आइए, इन बेजुबानों की पीड़ा को समझें और इस धरती को फिर से उनके कलरव से गुंजायमान करने का संकल्प लें –

आज यदि हम उनके लिए पानी का एक सकोरा रखेंगे, तभी कल हमारी पीढ़ी के लिए चहचहाता हुआ सवेरा आएगा।

–डॉ. कैलाश चन्द सैनी,
वन्य जीव विशेषज्ञ, जयपुर

अरावली में तेंदुआ-मानव संघर्ष की नई तस्वीर: नुकसान भारी, फिर भी कायम है सहअस्तित्व

डॉ. कमलेश शर्मा

जयसमंद अभयारण्य क्षेत्र में 13 साल में 572 घटनाएं, 98 प्रतिशत मामलों में पशुधन शिकार; मुआवजा प्रणाली कमजोर, लेकिन लोगों की सहनशीलता मजबूत

राजस्थान के दक्षिणी अरावली क्षेत्र में इंसान और तेंदुए के बीच संबंध टकराव और सह अस्तित्व का अनोखा मिश्रण बनकर सामने आया है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के आसपास किए गए एक विस्तृत शोध में यह खुलासा हुआ है कि भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद स्थानीय समुदायों में तेंदुए के प्रति सहनशीलता बनी हुई है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के प्राणी शास्त्र विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार कोली और उनके दल के कमल वैष्णव, निर्भय सिंह चौहान व उत्कर्ष प्रजापति द्वारा 2011 से 2024 के बीच किए गए इस अध्ययन में 572 मानव-तेंदुआ संघर्ष घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से लगभग 98 प्रतिशत मामले पशुधन के शिकार से जुड़े थे।

रात में बढ़ता है खतरा, बकरियां सबसे ज्यादा निशाने पर

कोली ने बताया कि शोध के अनुसार तेंदुए के हमले मुख्य रूप से रात के समय होते हैं, जब पशु खुले या कच्चे बाड़ों में बंधे होते हैं। इनमें बकरियां, गाय और बछड़े सबसे ज्यादा शिकार बने। शोध में पाया गया है कि ऊंचाई वाले और अभयारण्य के पास स्थित गांवों में खतरा सबसे अधिक पाया गया, जहां मानव बस्तियां और वन क्षेत्र एक-दूसरे से सटे हुए हैं।

मुआवजा: प्रक्रिया कठिन, राशि कम

कोली ने बताया कि अध्ययन में मुआवजा प्रणाली की बड़ी खामियां भी उजागर हुईं। कुल घटनाओं में से केवल 31 प्रतिशत मामलों में ही मुआवजे के लिए दावा किया गया। इसी प्रकार स्वीकृत राशि वास्तविक नुकसान से काफी कम रही वहीं जटिल कागजी प्रक्रिया और कम जागरूकता प्रमुख बाधाएं रहीं। इससे ग्रामीणों में आर्थिक दबाव तो बढ़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इससे तेंदुए के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दिखी।

सह अस्तित्व की मिसाल: बदले की भावना नहीं

शोध की सबसे सकारात्मक बात यह रही कि तेंदुए के खिलाफ बदले में हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों का दृष्टिकोण लगभग तटस्थ (-0.2 स्कोर) पाया गया, जो बताता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही हैं।

शिक्षा से बदलता नजरिया

अध्ययन में यह भी सामने आया कि अधिक शिक्षित लोग तेंदुए के प्रति अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं जबकि कम आय और कम शिक्षा वाले परिवारों में डर और नकारात्मकता अधिक है। अर्थात शिक्षा, सहअस्तित्व की सबसे मजबूत कुंजी बनकर उभर रही है।

संघर्ष के प्रमुख कारण

विशेषज्ञों के अनुसार संघर्ष के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। इसके तह